

पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़,
सिविल लाईन, रायपुर-492001

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग तथा प्लाटून कमाण्डर के पदों पर नियुक्ति के लिये आगे वर्णित कार्यक्रम के अनुसार चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने हेतु इच्छुक पुरुष/महिला उम्मीदवारों से जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हों, आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन-फार्म मय विवरणिका (prospectus), सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रु. 300/-, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर)/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर रु. 150/- का नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा), सामान्य शाखा, पुलिस मुख्यालय रायपुर के नाम पर रायपुर में देय हो) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। अभ्यर्थी मांगे अनुसार सहपत्रों के साथ आवेदन-फार्म एवं ओ.एम.आर. फार्म पूर्ण रूप से भरकर कार्यालयीन समय में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा करें। डाक, रजिस्ट्री या वी.पी.पी. से भेजे गये आवेदन-फार्म स्वीकार नहीं किये जावेंगे। आवेदन-फार्म की छायाप्रति अथवा कम्प्यूटर या टाईपिंग से निर्मित फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

रिक्त पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान -

चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान नीचे दर्शाये अनुसार है। अंतिम चयन के समय वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

स. क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की वर्गवार संख्या				योग	वेतनमान (रूपये)
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव (गैर-क्रीमीलेयर)		
1.	सूबेदार	25	08	10	07	50	9300-34800 (ग्रेड वेतन-4200)
2.	उप निरीक्षक	282	90	112	79	563	9300-34800 (ग्रेड वेतन-4200)
3.	उप निरीक्षक विशेष शाखा	14	04	06	04	28	9300-34800 (ग्रेड वेतन-4200)
4.	प्लाटून कमाण्डर	45	15	18	12	90	5200-20200 (ग्रेड वेतन-2800)
5.	उप निरीक्षक (रेडियो)	11	03	02	03	19	9300-34800 (ग्रेड वेतन-4200)
6.	उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)	03	01	01	01	06	9300-34800 (ग्रेड वेतन-4200)
7.	उप निरीक्षक (विवादास्पद दस्तावेज)	01	00	01	00	02	9300-34800 (ग्रेड वेतन-4200)
	योग	381	121	150	106	758	

आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।

आयु :-

सामान्य जाति के उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जावेगी।

छ.ग.शासन के कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/विक्रम धुरंधर प्राप्त खिलाड़ियों को भर्ती नियम अनुसार उच्चतर आयुसीमा में छूट दी जावेगी।

शैक्षणिक अर्हता :-

उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है। उपनिरीक्षक(रेडियो) हेतु इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रॉनिक/टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा, उपनिरीक्षक (अंगुलि चिन्ह) एवं उपनिरीक्षक (विवादास्पद दस्तावेज) हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक या उसके समतुल्य उपाधि होना अनिवार्य है।

शारीरिक अर्हता :-

सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम उंचाई 168 सेमी तथा सभी वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम उंचाई 153 सेमी होना अनिवार्य है। पुरुष उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाये 81 सेमी तथा फुलाने पर 86 सेमी होना अनिवार्य है। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 05 सेमी का अंतर होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग, नॉकनी, फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे के 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया :-

चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जावेगी, जिसमें शारीरिक नापतौल, लिखित परीक्षा, मुख्यलिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार सम्मिलित है।

आरक्षण :-

भर्ती में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर आरक्षण संबंधी जारी नियम लागू होंगे। शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के लिये 30% समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण को मंत्रि- परिषद के पूर्व अनुमोदन से 10% तक कम किया जा सकेगा।

नोट :-

विस्तृत शर्तें, आयु संबंधी प्रावधान, शैक्षणिक योग्यता व परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी आवेदन-फार्म के साथ संलग्न विवरणिका में उपलब्ध हैं, जिसे गंभीरता एवं पूर्ण रूपेण पढ़ने के बाद ही फार्म भरा जाये।

फार्म क्रय एवं जमा स्थल -

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अंबिकापुर, बैकुण्ठपुर, बिलासपुर, बीजापुर, दंतेवाडा, दुर्ग, धमतरी, बस्तर(जगदलपुर), जांजगीर-चांपा, जशपुरनगर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं नारायणपुर.

फार्म विक्रय करने की तिथि/समय - 19.12.2011 से 13.1.2012 तक कार्यालयीन समय में

फार्म जमा करने की तिथि/समय - 20.12.11 से 20.01.2012 समय 17:30 बजे तक

समस्त डीडी सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा), पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम पर रायपुर में देय होगा।

Law
15/12
हेतु पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़, रायपुर